राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांक प0 11(1)राज–6/2004/133.   जयपुर, दिनांक 25.11.19

आदेश

विषयः– औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन बावत।

धारा 92, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 निम्नानुसार है :–

92. "राज्य सरकार के सामान्य आदेश के अधीन कलक्टर किसी विशेष प्रयोजन के लिए, जैसे– पशुओं के निःशुल्क चारागाह के लिए वन आरक्षण हेतु आबादी के विकास हेतु या किसी अन्य सार्वजनिक या नगरपालिका प्रयोजन के लिए भूमि अलग रख सकेगा और ऐसी भूमि ऐसे प्रयोजनों के अतिरिक्त बिना कलक्टर की पूर्व अनुमति के अन्य प्रयोग में नहीं ली जावेगी।"

इस प्रावधान के तहत राज्य सरकार के सामान्य आदेशों के अधीन जिला कलक्टर किसी भी विशेष प्रयोजन हेतु भूमि को अलग (सेट अपार्ट) रख सकते है। धारा 92 में दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार इस संबंध में पूर्व में जारी किए गए समस्त आदेशों के अतिक्रमण में यह आदेश देती है कि औद्योगिक प्रयोजनार्थ भूमि अलग रखने (सेट अपार्ट करने) से पूर्व राज्य सरकार की अनुमति प्राप्त की जाए।

समस्त जिला कलक्टर इस आदेश की पालना करे।

25.11.19

(कमलेश आबुसरिया)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. जिला कलक्टर, समस्त।

Girraj letter/dsrevenue6@gmail.com

Scanned by CamScanner